7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

9. तकनीकी समिति के द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार श्रोतो की टेपिगं हेतु उत्तरांचल कूप का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।

10 अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना/निर्माण करने विषयक जो विभागीय मानक निर्धारित है उनका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। मानकों में विचलन कदापि न किया जाय।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय –01– जलपूर्ति– आयोजनागत–102 ग्रामीण जलपूर्ति –91–जिला योजना–01– ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना –35 –पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

9/02.03.12
(अजय सिंह नबियाल)
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक /जि0यो0/2011–12 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव पेयजल अनुभाग 2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता पेयजल निमार्ण निगम पौड़ी।
5. अधीशासी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी पेयजल निगम उत्तरकाशी।
6. मुख्य/वरिष्ठ /कोषाधिकारी उत्तरकाशी।
7. निदेशक अर्थ एवं संख्या उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अर्थ एवं संख्याधिकारी उत्तरकाशी।

आयुक्त
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।